

परिचालन संरक्षा चेतावनी सं०.०६/२०१९
(OPERATING SAFETY ALERT NO.06/2019)

विषय:-दिनांक ०३.१२.२०१९ को ०९:३५ बजे दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) के गुंटकल डिवीजन के कोडरु (KOU) स्टेशन पर गाड़ी न०.१७४१७ डाउन एक्स. के अगले SLR का रोड न०.४ में प्रवेश करते समय अवपथन (Derailment) के संबंध में।

दिनांक ०३.१२.२०१९ को ०९:३५ बजे दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) के गुंटकल डिवीजन के कोडरु (KOU) स्टेशन पर डाउन में आनेवाली गाड़ी न०.१७४१७ एक्स.के अगले SLR का सभी चक्का प्वाइंट न०.२३ पर पटरी से उतर गया।

उपरोक्त दुर्घटना के संबंध में प्राप्त प्रथम दृष्टया (Prima Facie) बताया गया है कि प्वाइंट का रॉड (Rod) डिस्कनेक्ट था जिसके फलस्वरूप प्वाइंट से होकर इंजन पार करते ही कोच दो रूट (Two Route) हो गया।

इस सम्बंध में महाप्रबंधक दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा जारी एक मैसेज में कहा गया है कि JE सिगनल बिना डिस्कनेक्शन मेंमो दिए उस प्वाइंट पर काम करवा रहे थे।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस सम्बंध में सा. नि.(GR) ३.५१ का सीधा उलंघन हुआ जो निम्न है -

“स्टेशन मास्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी रेल सेवक मरम्मत करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से किसी भी प्वाइंट, सिगनल या उसकी फिटिंग, सिगनल के तार या किसी इंटरलॉकिंग या ब्लॉक गियर में हस्तक्षेप नहीं करेगा।”

अतः सभी मंडलों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की लापरवाही न हो तथा नियमों का अनुपालन समुचित ढंग से किया जाए ताकि दुर्घटनाओं की रोक-थाम हो सके।

निरीक्षण के दौरान अधिकारी एवं निरीक्षकों द्वारा डिस्कनेक्शन एवं रिकनेक्शन मेंमों एवं सिगनल विफलता रजिस्टर की ठीक से पड़ताल की जाए ताकि लापरवाही उजागर हो सके।


(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं०:ई.सी.आर/परि.संरक्षा/चेतावनी/७३/५०५ दिनांक ०५.१२.२०१९

प्रतिलिपि:

- (१) सचिव/महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर:- महाप्रबंधक महोदय के सूचनार्थ।
- (२) मुख्य संरक्षा अधिकारी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
- (३) मंडल रेल प्रबंधक-धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
- (४) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक-धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
- (५) वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी-धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
- (६) प्रधान मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर के सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।